

प्रभारी भवन प्रकोष्ठ

सैक्टर-6 नोएडा

गौतमबुद्धनगर

विषय: प्लॉट न0-जी0एच-01 सैक्टर-46 नोएडा पर गार्डनिया एम्स डवलपर्स प्रालि0 द्वारा निर्मित आवासीय अपार्टमेन्ट भवन की कम्प्लीशन अग्नि शमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में ।

यू0आई0डी0 2016/19235/जीबीएन/गौतमबुद्धनगर/4596/जे0डी0

महोदय,

कृपया भवन स्वामी के प्रार्थना पत्र दिनांक 18-02-2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें विषयक भवन में स्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है जिसके क्रम में मेरे द्वारा विषयक भवन का निरीक्षण अग्नि शमन अधिकारी फेज प्रथम नोएडा से कराया गया तो तत्कालीन मुख्य अग्नि शमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर के पत्र संख्या: भ-48/सीएफओ/जीबीएन-09 (1)/1712 दिनांक: 31-08-2012 के अनुसार प्रोवीजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया था जिसके अनुसार प्रश्नगत भवन में अग्नि शमन व्यवस्थाएँ स्थापित व कार्यशील दशा में पाई गई। विवरण निम्न प्रकार है ।

भवन की संरचना: कुल प्लॉट एरिया: 51719.00 वर्ग मीटर है ।

क्र0स0	नाम टावर	भूतल कवर्ड एरिया	टिपिकल कवर्ड एरिया	तलों की संख्या	ऊँचाई
1	टावर-ए-1	282.392 वर्ग मीटर	272.872 वर्ग मीटर	भूतल के अतिरिक्त अठारहवे तल	56.865 मीटर
2	टावर-ए-2	282.392 वर्ग मीटर	272.872 वर्ग मीटर	भूतल के अतिरिक्त अठारहवे तल	56.865 मीटर
3	टावर-ए-3	282.392 वर्ग मीटर	272.872 वर्ग मीटर	भूतल के अतिरिक्त अठारहवे तल	56.865 मीटर
4	टावर-ए-4	282.392 वर्ग मीटर	272.872 वर्ग मीटर	भूतल के अतिरिक्त अठारहवे तल	56.865 मीटर
5	टावर-ए-5	282.392 वर्ग मीटर	272.872 वर्ग मीटर	भूतल के अतिरिक्त अठारहवे तल	56.865 मीटर
6	टावर-ए-6	282.392 वर्ग मीटर	272.872 वर्ग मीटर	भूतल के अतिरिक्त अठारहवे तल	56.865 मीटर
7	टावर-ए-7	282.392 वर्ग मीटर	272.872 वर्ग मीटर	भूतल के अतिरिक्त अठारहवे तल	56.865 मीटर
8	टावर-ए-8	282.392 वर्ग मीटर	272.872 वर्ग मीटर	भूतल के अतिरिक्त अठारहवे तल	56.865 मीटर
9	टावर-बी-1	404.410 वर्ग मीटर	396.050 वर्ग मीटर	भूतल के अतिरिक्त अठारहवे तल	56.865 मीटर
10	टावर-बी-2	576.825 वर्ग मीटर	567.325 वर्ग मीटर	भूतल के अतिरिक्त अठारहवे तल	56.865 मीटर
11	टावर-बी-3	405.938 वर्ग मीटर	397.578 वर्ग मीटर	भूतल के अतिरिक्त उन्नीसवे तल	59.85 मीटर
12	टावर-बी-4	410.612 वर्ग मीटर	402.252 वर्ग मीटर	भूतल के अतिरिक्त उन्नीसवे तल	59.85 मीटर
13	टावर-बी-5	417.737 वर्ग मीटर	408.237 वर्ग मीटर	भूतल के अतिरिक्त उन्नीसवे तल	59.85 मीटर
14	टावर-बी-6	355.020 वर्ग मीटर	345.520 वर्ग मीटर	भूतल के अतिरिक्त उन्नीसवे तल	59.85 मीटर
15	टावर-बी-7	355.020 वर्ग मीटर	345.520 वर्ग मीटर	भूतल के अतिरिक्त उन्नीसवे तल	59.85 मीटर
16	टावर-बी-8	355.020 वर्ग मीटर	345.520 वर्ग मीटर	भूतल के अतिरिक्त अठारहवे तल	56.660 मीटर
17	टावर-बी-9	355.020 वर्ग मीटर	345.520 वर्ग मीटर	भूतल के अतिरिक्त अठारहवे तल	56.630 मीटर
18	टावर-सी-1	362.899 वर्ग मीटर	335.302 वर्ग मीटर	भूतल के अतिरिक्त अठारहवे तल	56.660 मीटर
19	टावर-सी-2	550.476 वर्ग मीटर	522.879 वर्ग मीटर	भूतल के अतिरिक्त अठारहवे तल	59.645 मीटर
20	टावर-सी-3	517.080 वर्ग मीटर	489.483 वर्ग मीटर	भूतल के अतिरिक्त उन्नीसवे तल	59.85 मीटर

अपर बेसमेन्ट का कवर्ड एरिया: 37174.724 वर्ग मीटर।

लोअर बेसमेन्ट का कवर्ड एरिया: 37649.622 वर्ग मीटर।

ख-भवन के अधिभोग का विवरण:-

भवन का अधिभोग आवासीय अपार्टमेन्ट जो नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया 2005 पार्ट-4 में श्रेणी ए-04 के अन्तर्गत वर्गीकृत है ।

ग-ढाँचागत सुरक्षा व्यवस्थाएँ

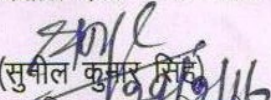
- 1- पहुँच मार्ग: भूखण्ड के सामने 24 मीटर चौड़ा रोड है शेष तीनों ओर रोड जो मानकों के अनुरूप है ।
- 2- प्रवेश द्वार:- प्रवेश द्वार की चौड़ाई 6 मीटर ।
- 3- सैट बैक: भवन के अग्रभाग में 25 मीटर, पृष्ठ भाग में 09 मीटर व पार्श्व-भाग में 09-09 मीटर सैट बैक उपलब्ध है जिसमें 06 मीटर हार्ड सरफेस सैट बैक अग्नि शमन वाहनों के लिए अवरोध रहित रखा जाना अनिवार्य होगा इसमें किसी प्रकार का स्थाई/अस्थायी निर्माण मान्य नहीं होगा ।
- 3- निकास मार्ग:- भवन के प्रत्येक ब्लाक में दो स्टेयर केस निर्मित है जिनकी चौड़ाई 1.25 मीटर है ।
- 5- रिफ्यूज एरिया: बालकानी निर्मित है ।

घ-अग्नि सुरक्षा व्यवस्था:-

- 1-भूमिगत टैंक:- प्रश्नगत भवन में 2,00,000 लीटर पानी की क्षमता का भूमिगत टैंक कार्यशील दशा में पाया गया ।
- 2-फायर पम्प:- भूमिगत टैंक के पास 2280 एलपीएम0 के दो अदद विद्युत चालित फायर पम्प व 2280 एलपीएम0 का एक अदद डीजल चालित फायर पम्प व 180 एलपीएम0 का जौकी पम्प स्थापित व कार्यशील दशा में पाये गये ।
- 3-होजरील/डाउनकमर:- भवन में होजरील, डाउनकमर, लेण्डिंग वाल्व होज केविनेट कार्यशील दशा में पाये गये ।
- 4-वेटराइजर:- भवन में वेटराइजर सिस्टम का प्रावधान एनबीसी मानकों के अनुरूप कार्यशील दशा में स्थापित है ।
- 5-मैनुवली आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम:- भवन में मैनुवली आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम मानकों के अनुरूप कार्यशील दशा में स्थापित है ।
- 6-आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम:-प्रश्नगत भवन के प्रत्येक टावर के प्रत्येक तल पर आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम स्थापित व कार्यशील दशा में पाये गये ।
- 7-टेरेस टैंक:- प्रश्नगत भवन के प्रत्येक टावर की टेरेस पर 10000 लीटर पानी की क्षमता का टेरेस टैंक कार्यशील दशा में स्थापित है ।
- 8-प्राथमिक अग्नि शमन उपकरण(फायर एक्सटिंग्यूशर्स) प्रश्नगत भवन में फायर एक्सटिंग्यूशर्स स्थापित व सही दशा में पाये गये ।
- 9-स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम: प्रश्नगत भवन के बेसमेन्ट में स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम स्थापित पाया गया है ।
- 10- यार्ड हाइड्रैण्टस:- भवन के चारों तरफ एन.बी.सी. मानकों के अनुरूप यार्ड हाइड्रैण्टस कार्यशील दशा में पाये गये ।
- 11-एग्जिट साईनेज:- प्रश्नगत भवन के सभी तलों पर एग्जिट साईनेज स्थापित व सही दशा में पाये गये ।
- 12- पी0ए0 सिस्टम:-भवन के समस्त तलों पर पी0ए0 सिस्टम स्थापित पाया गया है ।

अतः उपरोक्तानुसार उपलब्ध अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं के आधार पर प्लॉट न0-जी0एच0-01 सैक्टर-46 नोएडा में मैसर्स गार्डनिया ऐम्स डवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा निर्मित आवासीय अपार्टमेन्ट भवन कुल 20 टावरों की अग्नि शमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न शर्तों के आधीन निर्गत की जाती है ।

- 1- भवन प्रबन्धक को निर्देशित करने की कृपा करें कि भवन में स्थापित अग्नि शमन व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखने के लिए इसका मेन्टीनेन्स शेड्यूल बनाया जाय तथा शेड्यूल के अनुरूप सिस्टम को कार्यशील दशा में रखा जाय ।
- 2- भवन में स्थापित अग्नि शमन प्रणाली के संचालन के लिए प्रशिक्षित अग्नि शमन कर्मी नियुक्त किये जाय ।
- 3- किसी भी प्रकार का अतिरिक्त निर्माण कराये जाने से पूर्व अग्नि शमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।
- 4- भवन में स्थापित अग्नि शमन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की त्रुटि आने पर तत्काल नजदीकी अग्नि शमन केन्द्र को सूचित किया जाय तथा त्रुटि को तत्काल ठीक कराया जाय ।
- 5- प्रत्येक छः माह में भवन में कार्यरत सभी कर्मियों को मॉक ड्रिल/ इमरजेन्सी इवेक्यूवेशन ड्रिल कराई जाय ताकि किसी भी आपात स्थिति सभी अपने उत्तर दायित्व का निवाह कर सकें ।
- 6- वर्ष में एक बार अग्नि शमन विभाग से भवन में जीवन रक्षा,फायर प्रिवेन्शन तथा फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाय ।
- 7- भवन में स्थापित अग्नि शमन व्यवस्थाओं के अनुरक्षण के अभाव में अथवा उदासीनता के कारण अकार्यशील दशा में पाये जाने पर उत्तर दायित्व प्रबन्धक को होगा तथा निर्गत पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा ।


 (सुबील कुमार सिंह)
 मुख्य अग्नि शमन अधिकारी
 सुनील कुमार सिंह
 मुख्य अग्नि शमन अधिकारी
 गीतम बुद्धनगर

प्रतिलिपि: 1- अग्नि शमन अधिकारी फेज प्रथम नोएडा को आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

2- प्रबन्ध मैसर्स: गार्डनिया ऐम्स डवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा निर्मित आवासीय अपार्टमेन्ट भवन प्लॉट न0-जी0एच-01 सैक्टर-46 नोएडा को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु ।